न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 47/2009 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रणजीत पुत्र श्योलाल

2. विशम्भरदयाल पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलउदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. महावीर पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहमण निवासी नांगलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— असल रेस्पो0

2. सुगनचन्द पुत्र खूबराम जाति ब्राहमण निवासी नागलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर (फौत)

3. सुनीता देवी पत्नी सुखवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड जिला अलवर

4. देवेन्द्र

5. उमादत्त

6. केदार पुत्रान सुगचन्द जाति ब्राहमण निवासीयान नागलउदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:——— तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 19.2.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विजयसिंह राठौड

2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री राधाकृष्ण शर्मा, अमर चन्द चौधरी ।

निर्णय दिनांक 25.4.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 218/2006 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 19.2.2009 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर हाल 572/0–11, 575/0–28, 576/0–83 किता 3 कुल 1–22 हेक्टेयर का 1/83 भाग, खसरा नम्बर 50/0–03, 63/1–71, 64/0–24 हेक्टेयर का 1/6 भाग तथा 45/0–23, 48/0–25, 49/0–27, 65/1–42 हेक्टेयर का 1/6 भाग वाके ग्राम नांगलउदिया तहसील मुण्डावर पक्षकारान प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की पैत्रिक आराजी है । पक्षकारान के बुजुर्ग शंकरलाल फौत होने पर पक्षकारान को विरासत में मिली है । परन्तु अप्रार्थीगण ने साजबाज होकर मिन प्रार्थी वादी का हिस्सा बेच दिया । जबकि प्रार्थी वादी अपने हिस्से पर काबिज है । नुमायशी बयनामा की आड में मिन प्रार्थी वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते हैं । उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि से असल रेस्पो0 प्रार्थी वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है । इनका आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है । बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विवादित भूमि तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 सुगनचन्द व कृष्ण गोपाल की थी, जिनसे जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हमने खरीदी है और वक्त खरीद से ही हम काबिज है । हम बोनाफाईड परचेजर हैं । धारा 212 के तीनों बिन्दू असल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 प्रार्थी वादी के पक्ष में साबित न होकर हमारे पक्ष में साबित है, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि दादालाई की है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मेरा भी हिस्सा बनता है । परन्तु अप्रार्थीगण ने साजबाज होकर मेरा हिस्सा बेच दिया । इसलिये मैंने दावा पेश किया और दावे के साथ धारा 212 का प्रार्थना दायर किया । मेरा हिस्सा इनको बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है । धारा 212 के तीनों बिन्दू मेरे हक में है । तहत न्यायालय ने सही तौर पर इनको पाबन्द किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि के वे सदभावी केता है, इसलिये उन्हें टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जाना चाहिये । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि विवादित दादालाई की भूमि है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनका भी हिस्सा बनता है, परन्तु अप्रार्थीगण ने साबजबाज होकर उसका हिस्सा बेच दिया । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि साबिक राजस्व रेकार्ड में अन्य खातेदारों के साथ शंकर पुत्र हरभगता का भी नाम दर्ज है । उक्त शंकर को पक्षकारान का बुजुर्ग बताया गया है । इस प्रकार प्रथमदृष्टतया यह साबित है कि विवादित भूमि दादालाई की है । उक्त आराजी में प्रार्थी वादी रेस्पो0 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार मिलता है अथवा नहीं, या फिर अपीलांट, जो कि अपने आपको सदभावी केता बताते हैं, को बयनामा के आधार पर हक मिलता है अथवा नहीं, ये सारे बिन्दू मूल वाद में तय होने हैं । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय की अपील का निस्तारण कर रहे हैं, जिसमें इसके आधारों के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, नापूर्तिजनक क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन देखा जाना है । चूंकि विवादित भूमि साबिक रेकार्ड में रेस्पो0 के बुजुर्ग के नाम दर्ज है, इसलिये ये तीनों बिन्दू असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित होना प्रतीत होते हैं । उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2009 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सांजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner